अभियांत्रिकी इकाई :– पक्के खाले की प्लानिंग एवं निर्माण प्रकिया :

कच्चे खाले से होने वाले पानी के नुकसान को कम करने के उद्वेश्य से खालों को पक्का करने हेतु ड्राफ्ट स्कीम बनायी जाती है एवं जांच उपरान्त आवश्यक संशोधन कर अंतिम रूप से चक स्कीम तैयार की जाती है। सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विस्तृत परीक्षण के पश्चात् चक स्कीम अनुमोदित कर इसकी प्रति मुख्य अभियन्ता, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग आदि को भेजी जाती है। अनुमोदित चक स्कीम के आधार पर सम्बन्धित निर्माण खण्ड द्वारा तकनीकी तखमीना प्रचलित बी.एस.आर. दरो पर तैयार किया जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

तकनीकी तखमीना स्वीकृति के पश्चात् इस कार्य की निविदाएं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल/स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल द्वारा आमंत्रित की जाती है । जन सम्पर्क निदेशालय निर्धारित रोटेशन व कार्य की अनुमानित लागत के आधार पर निविदाएं विभिन्न राज्य / राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों व वेबसाईट पर भी जारी करता है । निर्धारित तिथि को निविदाएं प्राप्त कर इनका तुलनात्मक स्टेटमेन्ट बनाकर न्यूनतम दर देने वाले निविदादाता के पक्ष में अनुशंसा के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निविदाएं स्वीकृत की जाती है । ऊंची दरे आने पर नेगोशिएशन इत्यादि की कार्यवाही भी की जाती है ।

निविदा स्वीकृति के पश्चात् कार्य के कार्यादेश , सम्बन्धित ठेकेदार के पक्ष में जारी किये जाते है व निर्माण कार्य प्रारम्भ कर निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा निर्माण खण्ड की देखरेख में की जाती है । कार्यो की गुणवत्ता पर फील्ड टेस्टिग एवं गुण नियंत्राण इकाई द्वारा समय समय पर निगरानी रखी जाती है ।

<u>फील्ड टेस्टिग एवं गुण नियंत्राण इकाई</u>

यद्यपि निर्माण कार्यो की गुणवत्ता का प्राथमिक दायित्व सम्बन्धित निर्माण इकाई का होता है परन्तु विस्तृत भू–भाग में फैले विभिन्न चको के पक्के खालो के निर्माण कार्यो पर निगरानी रखने हेतु पृथक से फील्ड टेस्टिग एवं गुण नियंत्राण इकाई वृत्त तथा इसके अधीन 2 खण्ड बीकानेर , एवं सूरतगढ में कार्यरत है ।

प्रत्येक निर्माणाधीन कार्य को गुण नियंत्राण इकाई के सहायक अभियन्ता द्वारा प्रत्येक माह में तीन बार निरीक्षण किया जाता है । गुण नियंत्राण इकाई के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा भी उनके प्रत्येक सहायक अभियन्ता का प्रत्येक माह में एक कार्य का निरीक्षण किया जाता है । जिनके आधार पर कार्य स्थल पर पाई गई कमियों का निर्माण इकाई से निराकरण करवाया जाता है ।

निर्माण इकाई द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार से निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ठीक करवाकर विभागीय सामग्री जैसे सीमेन्ट इत्यादि की (अगर क्षति हुई है तो) सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली भी की जाती है ।

निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के साथ ही निर्माण इकाई को प्रत्येक चक में पक्के खाले के एलाईनमेंन्ट पर प्रत्येक दो मुरब्बा लम्बाई के अन्तराल पर बैंच मार्क्स लगवाकर डबल लेवलिंग द्वारा बैंच मार्कस की वैल्यू से गुण नियंत्राण इकाई को अवगत करवाना होता है । गुण नियंत्राण इकाई के सहायक अभियन्ता द्वारा समय समय पर निर्धारित मात्राा में बैंड लेवल्स की जॉच की जाती है । इसी प्रकार निर्मित पक्के खाले में रिसाव की जांच भी समय समय पर निर्माण अवधि में की जाती है ।

इसके अतिरिक्त खालो की निर्माण सामग्री जैसे ईट व बजरी का निर्माण कार्यो में उपयोग से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्य स्थल पर स्टेकिंग कर अनुसंधान इकाई द्वारा रेण्डम आधार पर सैम्पलिंग कर इनके परिणामों से निर्माण इकाई को अवगत कराया जाता है ।